भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*91
बुधवार, 28 जुलाई, 2021/06 श्रावण, 1943 (शक)

युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर

***91 श्री राजमणि पटेल:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को विशेष रूप से कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण दूसरी लहर के लॉकडाउन के पश्चात् रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्रवाई की है;

(ख) क्या सरकार के पास कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण रोज़गार गंवाने वाले लोगों को पुनर्नियोजित करने के लिए कोई ठोस योजना है; और

(ग) यदि हां, तो उनका पुनर्नियोजन किन-किन क्षेत्रों में तथा किस प्रकार से किया जाएगा?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

“युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर” के संबंध में श्री राजमणि पटेल द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 28-07-2021 के तारांकित प्रश्न संख्या *91 के भाग (क) से (ग) के लिए दिए जाने वाले उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग): सरकार ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और खतरों के समाधान के लिए अनेक पहलें की हैं। "आत्मनिर्भर भारत" के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, देश के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सत्ताईस लाख करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय पैकेज प्रदान किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी एनआरईजीएस) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक उस ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों, के लिए उन्हें कम से कम सौ दिनों का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, 11.19 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया एवं 389.23 करोड़ से अधिक मानव-दिवसों का सृजन किया गया। चालू वित्तीय वर्ष, 2021-22 (26.07.2021 को) में महात्मा गांधी एनआरईजीएस के तहत 6.64 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है तथा 133.99 करोड़ से अधिक मानव-दिवसों का सृजन किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण युवाओं के लिए मजदूरी या स्वरोजगार के माध्यम से उनकी नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए दो कौशल विकास कार्यक्रम नामतः दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) का भी कार्यान्वयन कर रहा है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय लघु अवधि के प्रशिक्षण (एसटीटी) पाठ्यक्रमों तथा पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित देश भर में युवाओं के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण हेतु कौशल भारत मिशन के अंतर्गत अपनी फैलगशीप योजना, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है।

कोविड-19 से संबंधित लॉकडाउन के परिणामस्वरूप रोजगार के अवसरो को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया था, ताकि कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। अभियान के लक्ष्य, संकटग्रस्त लोगों को तत्काल रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करना, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के साथ गांवों को संतृप्त करना और आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आजीविका संपत्ति का निर्माण करना और बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में 25 कार्यों (महात्मा गांधी एनआरईजीएस के तहत कार्यों सहित) पर संकेन्द्रण करते हुए दीर्घकालिक आजीविका के अवसरों को बढ़ाना था। अभियान के दौरान कुल 50.78 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित किए गए हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कामगारों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, उन नए कर्मचारियों, जिनका मासिक वेतन 15000/- रुपए प्रतिमाह से कम है, के लिए कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत नए कर्मचारियों में वे कर्मचारी शामिल हैं जो कोविड-19 के दौरान अपना रोजगार खो चुके थे एवं जो 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे। कोविड-19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर इस योजना के तहत लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।

*****